निरीक्षण आख्या कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा प्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी चम्पावत** के अवधि 11/14 माह से माह 05/16 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश सिंह नरवरिया लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रेम चंद्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, लेखापरीक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.11.2014 से दिनांक 05.12.2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें माह 02/2008 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई। जिसमें माह 02/2008 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।

वर्तमान में माह 11/2014 से 05/2016 तक के लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच की गई।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पदभार संभालें रखा।

1. सुश्री शैली प्रजापति, जिला का. अधि. 24.07.12 से वर्तमान तक।

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थितिः-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या0	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
2014-15	128/2014-15	-	01

(स) सतत् अनियमितायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेखों (कारण सहित)- शून्य

(छ) बजटः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	1924.75	1756.90
2014-15	-	-	1622.61	1336.77
2015-16	-	-	199.95	183.76

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत अपात्र बालिकाओं को प्रशिक्षण।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या सी-1344/कि.श.यो.-2982/13-14 दिनांक 05 अगस्त 2014 द्वारा किशोरी शक्ति योजना/एडोलसेण्ट गर्ल योजना के दिशानिर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार 11 से 18 वर्ष की, ऐसी कन्याओं को जिन्होनें विद्यालय जाना छोड दिया हो को विभाग द्वारा चयनित करके स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में अपेक्षित सुधार करने, साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करने, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों में सुधार करने आदि का लक्ष्य रखा गया था।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, चम्पावत के लेखा अभिलेखों की जांच में यह पायागयाकि योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय द्वारा प्रति बाल विकास परियोजनावार 20 बालिकाओं का चयन 30 दिन के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा समस्त चार परियोजनाओं में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु चार स्वंय सेवी संस्थाओं को भी नामित किये गया। पत्रावली के जांच में यह तथ्य सामने आया कि परियोजना चम्पावत में पांच, परियोजना पाटी में दस एवं परियोजना लोहाघाट में कुल 03 बालिकाएं बी.ए. में अध्ययनरत थी जिनकी आयु 16 से18 वर्ष केबीच दर्शायी गयी है (सूची संलग्न)। साथ ही एन.जी.ओ. HEERA एवं माता बराही एकेडमी एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बिल प्रस्तुत करते हुये यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में चयनित बालिकाओं में से कुछ प्रशिक्षण लेने हेतु प्रस्तुत नहीं हुई, जिसको ध्यान में रखते हुये मुख्य सेविका द्वारा तत्काल अन्य किशोरियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था।

उपरोक्त के संबंध में इकाई से यह पूछे जाने पर कि क्या सूची में दर्शायी गयी बालिकाओं के आयु संबंधी कोई प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा प्राप्त किये गये थे तथा अंतिम रूप से चयनित की गयी लाभार्थी बालिकाओं के स्थान पर अन्य बालिकाओं को प्रशिक्षण हेतु नामित करने का अधिकारी मुख्य सेविका के पास पर्याप्त अधिकार थे, इकाई ने अवगत कराया कि लाभार्थियों का चयन अंतिम रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। लाभार्थियों के स्थान पर किसी अन्य बालिका को नामित करने का अधिकारी मुख्य सेवका के पास नहीं है। सूची में दर्शायी गयी बालिकाओं के आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायें जायेगें। इस प्रकार लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि हो जाती है।

अतः अपात्र बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभागीय खातें में ₹ 19.71 लाख का अवरोधन।

आई.सी.डी.एस. निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून ने पत्र संख्या सी.3815/बजट-2961/2014-15 दिनांक 19 मार्च 2015 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, चम्पावत कार्यालय को नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रो/मिनी आगंबाड़ी केन्द्रों केलिए अवसंरचना सुविधा, उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 19.71 लाख आवंटित किया गया था। आवंटित धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए प्रेशर कुकर, जग, गिलास, कटोरी, फिल्टर,लोहे की कढाई, थाली लोहे का तवा, चकला बेलन, चिमटा स्टील, छलनी स्टील, बाल्टी स्टील, करछी, पल्टा, परात, बर्तन रखने का टोकरा, पतीला, बक्सा टिन, फाईबर अलमारी, बेईंग स्केल, कुर्सी प्लास्टिक, छोटी मेज प्लास्टिक, राष्ट्रीय ध्वज, दरी व चटाई, साबुनदानी, नेल कटर, कैची छोटी, कंघा, स्लेट प्लास्टिक, चाक, रोलर बोर्ड क्रय किया जाना था, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03-06 साल के बच्चों के सम्पूर्ण विकास का कार्य सुचारू रुप से किया जा सके।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी,चम्पावत के लेखाभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि उपरोक्त धनराशि का आहरण ट्रेजरी से करके दिनांक 31.03.2015 को सी.डी.ओ. के पी.एल.ए. खाते में जमा करा दी गयी थी। इसके उपरांत धनराशि को पुनः) पी.एल.ए. खातें से आहरति करके के डी.पी.ओ. के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। परन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होन जाने के उपरांत भी धनराशि को अवसंरचना विकास के लिए खर्च नहीं किया जा सका, जबकि विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों से खाने पकाने के लिए बर्तनों एवं वजन मशीन की मांग प्राप्त हुई थी।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने यह अवगत कराया कि वर्तमान तक कार्य की कार्यवाही नहीं की जा सकी है तथा धनराशि डी.पी.ओं के नाम से संचालित बैंक खातें में जमा है। इकाई से पूछे जाने पर कि उपरोक्त वर्णित सामग्रियों के अभाव में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है, तथा इसके संचालन प्रभावित तो नहीं हो रहा है। इकाई ने अवगत कराया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पुरानी सामग्रियों से कार्य किया जा रहा है तथा इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रभावित नहीं हो रहा है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि आगंनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पुरानी सामग्रियों से सुचारू रुप से किया जा सकता था तो उपरोक्त धनराशि अब तक शासन को हस्तांरित कर दी जानी चाहिए थी।

अतः इकाई के खाते में विगत एक वर्षों से जमा धनराशि ₹ 19.71 लाख के अवरोधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- फर्मों द्वारा सामग्रियों के आपूर्ति बिलों के भुगतान में आयकर अधिनियम की धारा 194-सी के अंतर्गत टी.डी.एस. कटौती न किया जाना, धनराशि ₹ 72,183.00

आयकर अधिनियम कीधारा 194-सी के अनुसार किसी फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल आपूर्तित सामग्रियों की धनराशि ₹ 75,000 से अधिक हो तो फर्म द्वारा सप्लाई सभी सामग्रियों के बिल पर 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. कटौती करनी चाहिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,चम्पावत के माह नवम्बर 2014 सेमार्च 2015 तक तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के क्रय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त अवधि में 06 फर्मों द्वारा आपूर्तित सामग्रियों की बिलों की धनराशि ₹ 36,57,287 के सापेक्ष टी.डी.एस. (2 प्रतिशत) कटौती नहीं की गयी थी, जबकि फर्मों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनराशि ₹ 75,000 से अधिक की सामग्रियों आपूर्ति की गयी थी। फर्मों द्वारा माह नवम्बर 2014 से मार्च 2015 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपूर्तित सामग्रियों की कुल धनराशि एवं उसके सापेक्ष टी.डी.एस. देयता का विवरण निम्नलिखित है-

वित्तीय वर्ष	**फर्म का नाम**	**आपूर्तित बिलों की कुल धनराशि (₹)**	**टी.डी.एस. की धनराशि (₹)**
2014-15 (11/2014 से 03/2015 तक)	मैं. जी.बी. प्लॉजा, खटीमा	9,84,791.00	1,96,396.00
------उपरोक्त----	नागनाथ पेपर मार्ट, बागेश्वर	2,21,919.00	4,438.00
2015-16	मै. सिद्धिकी आर्ट सर्विसेस, चम्पावत	2,99,040.00	5,981.00
	मै. सॉलम सेल्स, हल्द्वानी	98,750.00	1,975.00
	मै. कृष्णा इन्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	6,24,448.00	12,489.00
	मैं. जी.बी. प्लॉजा, खटीमा	5,11,061.00	10,221.00
	मै. जोशी बुक डिपो, खटीमा	8,69,103.00	17,382.00
		कुल योग	**72,183.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया एवं फर्मों को टी.डी.एस. की वसूली विषयक पत्र प्रेषित करने का उत्तर दिया गया।

अतः धनराशि ₹ 72,783 की टी.डी.एस. वसूली आपूर्तिकर्ता फर्मों से लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- ₹ 57.50लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के बाद भी 6 नवीन भवन एवं 4 उच्चीकरण भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं उक्तराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र xvii(14)2015/29(23)2013 महिला शक्तिकरम वं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 1450 नये आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं 113 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 6638 लाख कीधनराशिव्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी के सापेक्ष निदेशक आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 23 फरवरी 2015 केद्वारा 13 जनपदों को उक्त धनराशि अवमुक्त कर दिया गया। उक्त शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया था कि तदनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए निर्धारित स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनपरान्त धनराशि के कार्यदायी संस्था के खातें में नियमानुसार हस्तान्तरित करते हुए उसी वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपभोग करना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक ₹ 4.50 लाखकी धनराशि प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं 1 लाख की धनराशि प्रति पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की उच्चीकरण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्वतन पर जारी की जा रही है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी चम्पावत के आंगनबाड़ी केन्द्रों के 11 भवन निर्माण एवं 8 उच्चीकरण हेतु ₹ 57.50 लाख की धनराशि फरवरी 2015 में अवमुक्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी 13 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्प्रेक्षा तिथि 05/2016 तक 11 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों में से 05 पूर्ण एवं 6 अपूर्ण थे। 8 उच्चीकरण में से 04 पूर्ण एवं 04 अपूर्ण थे। उक्त राशि काउपोयगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से अप्राप्त है।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि खण्ड विकास अधिकारी को कार्य पूर्म करने हेतु पत्र लिखा जा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण 13 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके।

अतः ₹ 57.50 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के बाद भी 6 नवीन भवन एवं 4 उच्चीकरण भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **जिला कार्यक्रम अधिकारी, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)